

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



HUN



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 167424

415 322

(प्रारूप—"अ") शपथ—पत्र

हम फूलचन्द यादव एवं श्रीमती कलावती कलावती यादव अध्यक्ष एवं सचिव समता शिक्षा विकास समिति, जलालपुर टाउन, जिला-अम्बेडकर नगर शपथ पूर्वक बयान करते हैं :—

- यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव महिला पी0जी0 कालेज, जलालपुर टाउन, जिला-अम्बेडकर नगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी रासायन की स्थापना संबंधी 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से जलालपुर टाउन, जिला-अम्बेडकर नगर के गाठा संख्या 286, 366, 293 & 294 में कुल रकमा 0.4150 हेक्टर भूमि है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- यह कि उपरोक्त पत्र पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 286, 366, 293 & 294 रकमा 0.4150 हेक्टर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा उत्तीर्ण ताकनीकी विकास संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक विनांक 22.03.2022 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी रासायन को सञ्चालन हेतु भवनों का निर्माण अनुगमित नहीं के अनुसार किया गया है।

ATTESTED
Sworn & Verified
Before Me:
Kartikay Kumar


05/09/22

Chhattisgarh
Chhattisgarh Society
Chhattisgarh Society
Chhattisgarh Society

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर द्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर भवनों पर कार्मसी काउसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अनुरूप ही डिल्लोना कार्मसी संस्थान का ही सचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान ने कार्मसी काउसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि ये इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी काउसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/नहाविद्यालय/आईटीआई/आदि का सचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के सचालन हेतु आवश्यक जलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी काउसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुनिजित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अवौक्तिक स्टाफ की तैनाती द्रस्ट/सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण ने मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया नया निर्णय अंतिम होगा एवं नुड़े गान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फजी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून, संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Kartikay Kumar

Date.....


05/09/22

इ. अध्यक्ष

Authorised and Verified by Department Head
Date: 05/09/2022

अध्यक्ष
इ. सचिव

Chairman, Secretary
मानव संसाधन विभाग
प्रशिक्षण विभाग